

कार्यालय उपनिदेशक (वि०/यॉ०) xफोन न० 0120-2897629  
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद।

पत्रांक:- वि०/यॉ०/गा०/2011 - 2367

दिनांक

06/7/11

अल्पकालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदाए वित्तीय रूप से सुदृढ मण्डी परिषद मे विद्युत / यात्रिक कार्य मे पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक 27.07.2011 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओ अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निविदा आमंत्रण तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय से कार्य दिवस मे, सम्भागीय उप निदेशक (प्र०/वि०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद नवीन मण्डी स्थल अलीगढ के कार्यालय से अथवा भारतीय स्टेट बैंक सी- 17-18 सेक्टर 15 वसुन्धरा गाजियाबाद के शाखा से निर्धारित मूल्य जमानत धनराशि आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र जमा करके प्राप्त किये जा सकते है।

क्र० स०	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य	बयाने की धनराशि	कार्य पूर्ण करने का समय	श्रेणी
1	नवीन उप मण्डी स्थल टप्पल (अलीगढ)				
	(क) निर्माणाधीन कार्यालय भवन, बैंक भवन कम पोस्ट आफिस, अ श्रेणी 05 नग, ब श्रेणी 07 नग, स श्रेणी 15 नग, आवासीय भवन टाइप प्रथम 02 नग, कैन्टीन 02 नग, नीलामी चबूतरा(12ग44) मी० 02 नग, चेक पोस्ट कम टयलेट, गेट 02 नग, पम्प हाऊस में आन्तरिक विद्युतीकरण एल०टी० डिस्ट्रीब्यूसन लाइन, सोडियम वेपर लैम्पस, की आपूर्ति/सीपना एच०टी० लाइन, 160 के०वी०ए क्षमता के ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूसन पैनल, केबिल की आपूर्ति/स्थापना एवं तत्संबंधी अन्य कार्य।	2000/00	3,02,000/00	दस माह	अ
	(ख) 200 एमएम डाया के नलकूप निर्माण तथा 7.5 एच० पी० सबमर्सिबल पम्प सेट, पैनल की आपूर्ति/स्थापना का कार्य।	500/00	86,000/00	छः माह	-

- नोट:- (1) क्रमांक 01 (ख) पर अकित निविदा उन्ही फर्मो को निर्गत की जायेगी जिनके पास स्वयं का रिग मशीन होगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा क्रय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा नहीं निर्गत की जायेगी।
- (2) बयाने की धनराशि का एफ० डी० आर०/सी० डी० आर०/नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में जो उप निदेशक (वि०/यॉ०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद गाजियाबाद के नाम बंधक होनी चाहिये निविदा क्रय करते समय जमा करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में निविदा निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (3) निविदा आमंत्रण तिथि 27.07.2011 को यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में प्राप्त एवं खोली जायेगी। शेष नियम एवं शर्तें कार्यालय कार्य अधि में किसी भी समय देखी जा सकती हैं।
- (4) निविदा में किसी भी प्रकार का निगोशियेशन नहीं किया जायेगा और निविदा खुलने के पश्चात प्राप्त दरे ही अन्तिम दरे होगी और उसी के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- (5) निविदा के दरे में दशमलव के पूर्व शून्य अकित न होने (0 से 1 प्रतिशत के मध्य दरे होने पर) एवं दरे शब्दों में न भरे होने पर निविदा को अवैध मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (6) निविदा के साथ रु० 100.00 का स्टाम्प पेपर जो ट्रेजरी कार्यालय से जारी हुआ हो के साथ रु० 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य है इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं निविदा को अवैध मान लिया जायेगा।
- (7) शासनादेश संख्या 4435/छ:-पु०-14-06-50 (7)/2006 दिनांक 02.11.06 के अनुसार जिलाधीकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र को रु० 100.00 के स्टैम्प पेपर पर भर कर प्रारूप टी-6 के रूप में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (8) निविदा मूल्य का 13.50 प्रतिशत वैट अलग से देय होगा।
- (9) निविदा मण्डी परिषद के विभागीय वेबसाईट [www. Upmandiparishad.in](http://www.Upmandiparishad.in) पर भी उपलब्ध है।

Ab  
06/7/11  
(अवधेश सिंह)  
उपनिदेशक (वि०/यॉ०)